पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/86(आ०)/पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक:

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद्, जमुई, वैशाली एवं दरभंगा।

पटना दिनांक: 28/2/25

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 78(स्वी०) दिनांक 20.02.2025 के आलोक में कुल ₹3,78,998.00 (तीन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अन्ठानवें रूपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 78(स्वी०) दिनांक 20.02.2025 द्वारा पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय ईकाई के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत तकनीकी पदों पर नियोजित जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के वित्तीय वर्ष 2023–24 का बकाया मानदेय राशि का भुगतान किये जाने हेतु कुल ₹3,78,998.00 (तीन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अन्ठानवें रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नवत् जिलों के संविदा आधारित सेवानिवृत तकनीकी पदों पर नियोजित जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) का वित्तीय वर्ष 2023–24 का बकाया मानदेय राशि का भुगतान किये जाने हेतु कुल ₹3,78,998.00 (तीन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अन्ठानवें रूपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती हैं :–

राशि रूपये में

क्र०	**जिला का नाम**	**वित्तीय वर्ष 2023–24 के बकाये की अवधि**	**कुल आवंटन हेतु प्रस्तावित राशि**
1	*2*	*3*	*4*
1	जमुई	मार्च, 2024	65754.00
2	वैशाली	मार्च, 2024	68675.00
3	दरभंगा	जनवरी, 2024 से मार्च, 2024	244569.00
कुल			**378998.00**

तीन लाख अठहत्तर हजार नौ सौ अन्ठानवें रूपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–198–ग्राम पंचायतों को सहायता–उपशीर्ष–0113–मुख्यमंत्री निश्चय योजना"

के "विषय शीर्ष–0113.31.04–सहायक अनुदान–वेतन" से की जायेगी। इसकी माँग संख्या 16 एवं विपत्र कोड–16-2515001980113 है।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् होगे, जो अनुपस्थिति विवरणी के आलोक में आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से करेंगे।

5. इस आवंटित राशि की निकासी विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 78(स्वी०) दिनांक 20.02.2025 के आलोक में CFMS Portal के माध्यम से करेंगे एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम–4–05/98–2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं 214 दिनांक 06.03.2024 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

9. इस आवंटित राशि की निकासी संबंधित कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

10. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

11. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन संचिका संख्याः 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021 के पृष्ठ संख्या 258/टि० पर दिनांक .... 27/02/2025 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

28/2

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/86(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/2/25

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हक०), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–03 एवं 07 (उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेत प्रेषित।

28/2

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम–02–03/2021/86(अ०)/पं०रा० पटना, दिनांक 28/2/25

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/2/25

(किशोर कुमार)

संयुक्त सचिव

B.K.